

10/02/20

वकील प्रार्थी अन्तु!  
वकील अप्रार्थी उप।  
वकील प्रार्थी को कई मर्चा कावाजे दिखायी  
गयी परन्तु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।  
फलस्वरूप मूल दावा अदम हाजरी कर्क  
पैरनी में खारिज हो जाने से इस  
प्राथम्य को चलाये जाने का कोई औचित्य  
नहीं रहता है अतः प्राथम्य समाप्त (Discontinue)  
किया जाता है।  
पत्रावली फलशुभाह होकर गन्वले  
कर है।

सहायक वकील  
पाली

